कार्यालय उपनिदेशक अग्निशमन सेवा इलाहाबाद परिक्षेत्र, इलाहाबाद

पत्र सं0: 2016/25490/इला0/इलाहाबाद/247/डी0डी0, दिनांकः अक्टूबर, 22 , 2016

सेवा में,

अपर जिलाधिकारी (प्रशासन)

इलाहाबाद।.

विषय–गाटा नं0–195, ग्राम–अबूसा, परगना–सिकन्दरा, तहसील–फूलपुर, जनपद–इलाहाबाद, मे हिन्दुस्तान पेट्रोलियम का0 लि0, द्वारा नये रिटेल आउटलेट स्थापित किये जाने हेतु अग्निशमन शुरक्षा की दृष्टिकोण से प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किए जाने के सम्बन्ध मे ।

सन्दर्भ–आप का पत्र संख्या, 70/ए0जे0ए0–1, दिनांक–26/09/2016 ।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने प्रार्थना पत्र/आवेदक के पत्र संख्या– 70/ए0जे0ए0–1, दिनांक–26/09/2016 के माध्यम से उक्त प्रश्नगत नये रिटेल आउटलेट की प्रोविजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने की अपेक्षा की गई है।

उक्त प्रश्नगत मेसर्स मुख्य क्षेत्रीय प्रबन्धक, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम का0 लि0, गाटा नं0–195, ग्राम–अबूसा, परगना–सिकन्दरा, तहसील–फूलपुर, जनपद–इलाहाबाद मे नये रिटेल आउटलेट स्थापित किये जाने हेतु अग्निशमन व्यवस्थाओं एवं अभिलेखों का परीक्षण तथा स्थल का निरीक्षण अग्निशमन अधिकारी नैनी, श्री अखिलेश प्रताप सिंह द्वारा अंकित मापो के आधार पर किया गया, आख्या दिनांकः 20/10/2016 का सुसंगत मानको के अनुसार परीशीलन किया गया, जिसका विवरण निम्नवत है –

भवन की संरचना

1 कुल भूखण्ड– 900.00 वर्गमी0।

2 निर्मित भूतल कवर्ड सेल्स एण्ड कैनोपी एरिया–70.00 वर्गमी0।

3 प्रथम तल से ऊपरी तलों का टिपिकल कवर्ड ऐरिया (प्रत्येक तलवार विवरण) निल, वर्ग मी0।

4 भवन की ऊँचाई– (कैनोपी) 06.00 मी0।

5 भवन का अधिभोग एवं हैजार्ड श्रेणी– प्रश्नगत भवन का अधिभोग एन0बी0सी0 की हेजार्ड श्रेणी के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है।

ढांचागत व्यंवस्था –

1 पहुंच मार्ग – भूखण्ड के सामने मानचित्रों में 07.00 मी0 पक्की रोड की चौड़ाई है।

2. प्रवेश द्वार की चौड़ाई – 05.00 मी0 जो मानक के अनुसार है।

3 सेट बैक – सेट बैक मानक के अनुसार प्राविधातिन किया जाय।

4 फायर सर्विस के वाहन सुगमतापूर्वक उपरोक्त स्थल तक आ–जा सकते है ।

अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था –

1 प्राथमिक अग्निशमन उपकरण (फायर एक्सटिंग्यूशर) : प्रस्तावित न्यू रिटेल आउटलेट स्थल पर फायर एक्सटिंग्यूशर भारतीय मानक ब्यूरों के आई.एस.– 2190 के अनुसार आई0एस0आई0 मार्क, के प्रत्येक आउटलेट पर 02–02 अदद, ए0बी0सी0–9 किग्रा0 का प्राविधातिन किया जाय ।

2 सेल्स/स्टोर रूम मे, फायर एक्सटिंग्यूशर भारतीय मानक ब्यूरों के आई.एस.– 2190 के अनुसार आई0एस0आई0 मार्क, के 02 अदद, ए0बी0सी0–09 किग्रा0 का प्राविधातिन किया जाय ।

3 जनरेटर रूम के पास, फायर एक्सटिंग्यूशर भारतीय मानक ब्यूरों के आई.एस.– 2190 के अनुसार आई0एस0आई0 मार्क, के 02 अदद, ए0बी0सी0–09 किग्रा0 का प्राविधातिन किया जाय ।

4 इलेक्ट्रिक रूम/पैनल के पास, फायर एक्सटिंग्यूशर भारतीय मानक ब्यूरों के आई.एस.– 2190 के अनुसार आई0एस0आई0 मार्क, के 02 अदद, सी0ओ0टू0–4.5 किग्रा0, का प्राविधातिन किया जाय ।

5 फायर स्टेशन, सिविल लाइन्स/नैनी का फोन नं0–9454418563, 9454418564, 9454418557, 9454418558 मुख्य–मुख्य स्थानों पर अंकित कराया जाय।

6 फायर बकेट मय स्टैण्ड 08 अदद बालू से भरा प्राविधातिन किया जाय ।

7 रिटेल आउटलेट, संचालित किये जाने से पूर्व कार्य स्थल पर मानक के अनुरूप अग्निशमन उपकरण प्रत्येक दशा मे प्राविधातिन किया जाय।

8 धूम्रपान का बोर्ड, मुख्य–मुख्य स्थानो पर प्राविधातिन किया जाय।

9 पेट्रोलियम रूल्स 2002 के फार्म 14 के प्राविधानो का पुर्णरूप से पालन किया जाना आवश्यक होगा।

10 रिटेल आउटलेट पर कार्यरत समस्त कर्मचारियो को प्राथमिक अग्निशमन उपकरण के संचालन का ज्ञान/प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा ।

11 पेट्रोल पम्प के फिलिंग प्वाइन्ट के पास स्पार्क करने वाली एवं नेकेट लाइट का प्रयोग किसी भी दशा मे नही की जायेगी।

12 रिटेल आउटलेट के तीन तरफ 06 फिट की दिवाल उठाकर कंटीले तार लगाये जायेंगे।

13 सभी प्रकार के इलेक्ट्रिक फिटिंग एण्ड वायर आई0एस0–2148 के अनुसार लगाये जायेंगे।

अतः उपरोक्तानुसार श्री/मेसर्स मेसर्स मुख्य क्षेत्रीय प्रबन्धक, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम का0 लि0, गाटा नं0–195, ग्राम–अबूसा, परगना–सिकन्दरा, तहसील–फूलपुर, जनपद–इलाहाबाद, मे नये रिटेल आउटलेट स्थापित किये जाने हेतु अग्निशमन प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र इस शर्त के साथ निर्गत किया जाता है कि आवेदक द्वारा भवन/इकाई में अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी सभी प्रस्तावित प्राविधान नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया –2005 में उल्लेखित मानकों के अनुसार करायें जायेंगे ताकि अग्निशमन व्यवस्थाओं का उचितानुसार समावेश हो सके तथा प्रस्तावित न्यू रिटेल आउटलेट के निर्माणोपरान्त प्रयोग करने से पहले रिटेल आउटलेट में अग्नि से सुरक्षा व्यवस्थायें मानकों के अनुसार भैतिक रूप से स्थापित कर उनका निरीक्षण/परीक्षण विभाग से कराकर अन्तिम अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा अन्यथा निर्गत किया जा रहा प्रस्तावित न्यू रिटेल आउटलेट निर्माण हेतु प्राविजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त समझा जाएगा ।

(आर0 के0 पाण्डेय)
उप निदेशक अग्निशमन सेवा
इलाहाबाद परिक्षेत्र, इलाहाबाद

प्रतिलिप –

1. अग्निशमन अधिकारी नैनी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. आवेदक को अनुपालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।